बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० –NHM/BHDS/295/2023-पी०वी०एन०मं०-168. /कृ0, पटना दिनांक 13.12. 2024

प्रेषक,

मनोज कुमार,
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) **अनौपचारिक रूप से परामर्शित**

द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय– **राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2023–24 में आयोजित बागवानी महोत्सव के देयता भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 10.54448 लाख (दस लाख चौवन हजार चार सौ अड़तालीस) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

महाशय,

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2023–24 में आयोजित बागवानी महोत्सव के देयता भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 10.54448 लाख (दस लाख चौवन हजार चार सौ अड़तालीस) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम मद् से उद्यान प्रदर्शनी के आयोजन हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या पी.पी.एम.–42/2021–28 दिनांक 30.06.2023 द्वारा कुल 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति दी गई थी। इसके तहत् राज्यस्तरीय तीन दिवसीय बागवानी महोत्सव के आयोजन हेतु 65.00 लाख रूपये निर्धारित था।

उक्त स्वीकृति के आलोक में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर तीन दिवसीय बागवानी महोत्सव के स्थान पर चार दिवसीय बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसपर कुल 7518232.00 (पचहत्तर लाख अठारह हजार दो सौ बत्तीस) रूपये व्यय हुआ। उक्त व्यय राशि में से वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध राशि से 6463784.00 (चौसठ लाख तिरेसठ हजार सात सौ चौरासी) रूपये संबंधितों को भुगतान किया गया तथा शेष राशि 1054448.00 (दस लाख चौवन हजार चार सौ अड़तालीस) रूपये की देयता सृजित है। इसी देयता के भुगतान हेतु इस स्वीकृत्यादेश से कुल 1054448.00 (दस लाख चौवन हजार चार सौ अड़तालीस) रूपये की स्वीकृति दी जा रही है।

3. देयता की राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि इसके बाद कोई भी देयता की राशि शेष नहीं है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त हीं देयता राशि का भुगतान संबंधित को करेंगे। किसी तरह के गलत भुगतान के लिए निकासी और भुगतान करने वाले पदाधिकारी पूर्ण रूपेण जिम्मेवार होंगे। भुगतान के पश्चात् यदि राशि बचे तो अवशेष राशि को राजकोष जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत राशि का भुगतान मूल स्वीकृत्यादेश संख्या पी.पी.एम.–42/2021–28 दिनांक 30.06.2023 एवं निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

5. स्वीकृत राशि देयता भुगतान से संबंधित है। फलतः मानव दिवस सृजित होने की संभावना नहीं है।

6. योजना में स्वीकृत राशि की निकासी, अनुसूची–1 के आलोक में निदेशक उद्यान, बिहार, पटना–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से BTC Form - 42 पर CFMS की विहित रीति से की जायेगी।

7. वित्त विभाग का पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि वास्तविक देयता के अनुरूप होने के कारण बजट उपबंध में उपबंधित अनुपात में नहीं है तथा मात्र सामान्य एवं अनुसूचित जाति कोटि में स्वीकृति दी जा रही है।

9. स्वीकृत राशि के व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के अन्दर कृषि विभाग एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024–25) में स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है :– (राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101,विषय शीर्ष 0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	23568.00	9.40368
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष 0130.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	6000.00	1.14080
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन।	432.00	0.00
कुल	**30000.00**	**10.54448**

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या सं०–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या– NHM/BHDS/295/2023 के पृष्ठ संख्या–59/टि० पर दिनांक–12.12.2024 को प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि०(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– NHM/BHDS/295/2023 के पृष्ठ संख्या–60/टि० पर दिनांक–13.12.2024 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–826 दिनांक–13.12.2024 है।

विश्वासभाजन

13/12/2024

(मनोज कुमार),
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/295/2023-पी·ओ०-[illegible]-168 पटना, दिनांक 13.12. 2024

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/2024

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/295/2023 - पी०पी०एम०-168 पटना, दिनांक 13.12. 2024

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/24

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/295/2023 - पी०पी०एम०-168 पटना, दिनांक 13.12. 2024

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना एवं सभी प्रमंडलीय जिला मुख्यालय के कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/24

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/295/2023 - पी०पी०एम०-168 पटना, दिनांक 13.12. 2024

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/निदेशक, बामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/सभी संबंधित परियोजना निदेशक (आत्मा)/सभी संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/12/24

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

(उद्यान प्रदर्शनी 2023–24 अन्तर्गत राज्यस्तरीय बागवानी महोत्सव के तहत् अतिरिक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य (2024–25)

(वित्तीय लाख रू० में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य	अनुसूचित जाति	कुल योग
1	निदेशक उद्यान	9.40368	1.14080	10.54448
	कुल	**9.40368**	**1.14080**	**10.54448**

(दस लाख चौवन हजार चार सौ अड़तालीस रूपये) मात्र

उप निदेशक उद्यान (योजना)
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना

निदेशक उद्यान,
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।